प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा

और माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 413/1995

सत्येन्द्र प्रसाद

विरूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

हस्ताक्षरित /-
आर.एस. शर्मा
न्यायमूर्ति

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूं

हस्ताक्षरित /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

23-08-2011निर्णय हेतु नियत

हस्ताक्षरित /-
आर.एस. शर्मा
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा और

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक413/1995

अपीलार्थी सत्येंद्र प्रसाद, आत्मज नोंकेश्वर प्रसाद, उम्र 34वर्ष,

ग्राम खजुरियाडी, थाना कुशमी, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

प्रत्यार्थी मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

उपस्थित:

श्री अभय तिवारी,अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।

श्री यू.एन.एस. देव, शासकीयअधिवक्ता और श्री रवींद्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता राज्य/ प्रत्यार्थी की ओर से।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(23 अगस्त, 2011 को घोषित)

माननीय न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा के अनुसार:

यह अपील द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 216/1992 में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 17/02/1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी सत्येन्द्र प्रसाद को दोषी पाते हुए दोष सिद्ध किया गया तथा उसे धारा 302 भा.द.सं.के अंतर्गत अजीवन कारावास से दण्डित किया गया ।

2. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है:-

दिनांक 5/2/1992 को लगभग अपरान्ह 4 बजे, मृतक राजेश अपने मकान के सामने सड़क पर खड़ा था। उसी समय अपीलार्थी साइकिल में वहां आया और मृतक से टकरा गया। इस कारण उनके मध्य विवाद हुआ।तत्पश्चात् अपीलार्थी ने मृतक का हाथ पकड़कर उसे घसीटा, जिसके कारण उसकी कलाई घड़ी टूट गई और वह गिर गया। उनके मध्य कुछ विवाद हुआ, जिसके पश्चात् अपीलार्थी ने अपनी जेब से चाकू निकाला और मृतक की गर्दन एवं होंठ पर वार किया। मृतक को गर्दन और होठों पर आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटना स्थल पर उपस्थित मृतक की माता देवन्ती देवी (अभि.साक्षीक्र. 2) तथा बहन सरिता कुमारी (अभि.साक्षी क्र. 3) ने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा। हरिप्रसाद पुत्र बिरछन साव (अभि.साक्षी क्र. 1) ने आरक्षी केन्द्र कुसमी में प्रथम सूचना पत्र (प्र.पी.1) दर्ज कराई। मर्ग सूचना प्र.पी.10 के अंतर्गत दर्ज की गई। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच कर पंचों को नोटिस (प्र.पी.2) दिया एवं मृतक के शव का पंचनामा (प्र.पी. 3) के अनुसार तैयार किया। मृतक के शव को परीक्षण हेतु शासकीय चिकित्सालय बलरामपुर भेजा गया। डॉ. एस.आर. निराला (अभि.साक्षी क्रमांक 13) द्वारा शव का परीक्षण किया गया, जिन्होंने अपना शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 16 प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने निचले होंठ के दाहिने कोण पर 2 इंच x1/2x1 का छिद्रित घाव तथा सुप्रास्टर्नल नॉच पर 1 से.मी. x1/2 से.मी. 1(1/2) इंच का फटा घाव पाया। चिकित्सक के अभिमतानुसार मृत्यु अत्याधिक रक्तस्त्राव एवं आघात के कारण हुई थी यह मानववध प्रकृति की थी। दिनांक 7/2/1992 को अपीलार्थी का मेमोरेंडम कथन अभिलिखित किया गया एवं आगामी अन्वेषण में उसके कथानुसार एक चाकू प्र.पी. 7 के अंतर्गत जप्त किया गया,अपीलार्थी से उसकी लूंगी तथा कमीज़ भी प्र.पी. 8 द्वारा जप्त की गई। जप्तशुदा चाकू को परीक्षण हेतु डॉ. एस.आर.निराला (अभियोजन साक्षी क्र. 13) के पास मांग पत्र प्र.पी. 12 के द्वारा प्रेषित किया गया। चिकित्सक ने अपना प्रतिवेदन प्र.पी. 12-अ. प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने तदुपरांत प्रकरण को सत्र न्यायालय को उपार्जित किया, जहां से यह प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को अंतरण पर प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण पश्चात् अपीलकर्ता को उपरोक्तानुसार दोष सिद्ध एवं दण्डित किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय तिवारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि देवन्ती देवी (अभि.साक्षी.क्र. 2) तथा सरिता कुमारी (अभियोजन साक्षी क्र. 3) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।वे हितबद्ध साक्षी है इन साक्षियों की साक्ष्य में अनेक विरोधाभास एवं लोप विद्यमान है। चिकित्सकीय साक्ष्य एवं प्रत्यचक्षुदर्शी साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष ने किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी को मृतक द्वारा उकसाया गया था। अपीलार्थी को भी चोटें आई। अपीलार्थी और मृतक के मध्य गंभीर गाली-गलौज हुई। अपीलार्थी को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी नहीं माना जा सकता। संपूर्ण प्रकरण को स्वीकार करने के पश्चात् भी अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर राज्य/प्रत्यार्थी के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री यू.एन.एस. देव तथा विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री रवीन्द्र अग्रवाल ने, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, तर्क दिया कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त दोष सिद्धि एवं दण्डादेश इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना तथा आक्षेपित निर्णय एवं सत्र प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया है। अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि देवन्ती देवी (अभि. साक्षी क्र. 2) तथा सरिता कुमारी (अभियोजन साक्षी क्र. 3) के कथनों पर आधारित है, जो घटना की प्रत्यचक्षुदर्शी साक्षी है और जिनका साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

6. यह विवादित नहीं है कि मृतक राजेश देवन्ती देवी (अभि.साक्षीक्र.2) का पुत्र तथा सरिता कुमारी (अभि.साक्षीक्र. 3) का भाई था। ये दोनों साक्षी मृतक के निकटतम संबंधी हैं। जहां तक संबंध का प्रश्न है, यह साक्षियों की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है और नातेदार साक्षी भी वास्तविक अपराधी को छिपाकर निर्दोष व्यक्ति के विरूद्ध आरोप नहीं लगाएंगे। यदि मिथ्या फंसाने का अभिकथन किया जाता है तो आधार स्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः हमें सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा कि क्या उनका साक्ष्य तर्कपूर्ण एवं विश्वसनीय है ?

7. धरनीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2010) 7 एस.सी.सी 759 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. पारिवारिक सदस्यों के घटना के सत्य साक्षी न होने का कोई कठोर एवं निश्चित नियम नहीं है तथा यह नहीं कहा जा सकता कि वे सदैव न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर होगा। जयबालन बनाम पॉन्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, (2010) 1 एस.सी.सी 199 में, इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ कि हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। न्यायालय का अभिमत था कि हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य का परीक्षण करते समय कठोरता पूर्ण दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं है। उक्त साक्ष्य को मात्र इस कारण से उपेक्षित अथवा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि वह पीड़िता के निकट संबंधी है। माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (सर्वोच्च न्यायालय मामला

पृष्ठ 213, कंडिका 23-24)

"23. हमारा सुविचारित अभिमत है कि उन प्रकरणों में जहाँ न्यायालय को हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करना अपेक्षित हो, ऐसे साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय का दृष्टिकोण कठोर नहीं होना चाहिए। न्यायालय

को हितबद्ध साक्षियों द्वारा प्रदत्त साक्ष्य के मूल्यांकन एवं स्वीकृति में सावधान रहना चाहिए परन्तु न्यायालय को ऐसे साक्ष्य के प्रति संदेहास्पद नहीं होना चाहिए। न्यायालय का मुख्य प्रयास सुसंगत अन्वेषण होना चाहिए। किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर अस्वीकार या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि वह पीड़िता के निकटस्थ संबंधी के कथन से प्राप्त हुआ है।

24. अभिलेख के परिशीलन से, हमें यह प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षी 1 से 4 का साक्ष्य मृतका एवं अपीलकर्ता के बीच होने वाले लगातार विवादों के संबंध में स्पष्ट व प्रत्यक्ष है। उन्होंने सुस्पष्ट एवं निरंतर रूप से अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है कि अपीलार्थी द्वारा विभिन्न अवसरों पर मृतका को प्रताड़ित किया गया एवं उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मृतका को अपीलार्थी का निवास छोड़कर स्थायी निवास के उद्देश्य से अपने माता-पिता के घर में शरणागत होना पड़ा.अभि.सा. क्रमांक1 से 4 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतका को अपीलार्थी से अपने जीवन के प्रति खतरे का भय था। अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि.सा. 1 से 4 द्वारा कथित उपरोक्त प्रकरण को परिवाद में प्रतिपादित तथ्यों से समर्थन भी प्राप्तहोता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस न्यायालय द्वारा राम भरोसे विरुद्ध उ.प्र. राज्य, (2010) 1 एस सी सी 722 के प्रकरण में समरूप मत लिया गया था, जिसमें न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मृतक का निकट संबंधी, स्वतः ही, हितबद्ध साक्षी नहीं बन जाता। हितबद्ध साक्षी वह होता है जो प्रतिशोध या शत्रुता अथवा विवादों के कारण किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध कराने में रुचि रखता है और केवल उसी आशय से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देता है न कि न्याय के प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए। हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य के विवेचना से संबंधित विधि सुस्थापित है, जिसके

अनुसार, हितबद्ध साक्षी के कथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, अपितु उसे स्वीकार करने से पूर्व सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना आवश्यक है।"

8. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी ने हीरालाल, आत्मज कलिका साव को (बचाव साक्षी क्रमांक 1) के रूप में परीक्षित किया। हीरालाल (प्र.सा. क्रमांक 1) ने कंडिका 3 में कथन किया कि यह सही है कि विवाद को सुनकर, मृतक की माता व बहन घटनास्थल पर आई थीं तथा वे विवाद को निपटाने का प्रयत्न कर रही थीं। उसने यह भी कथन किया कि मृतक की कलाई घड़ी नीचे गिर गई, जिसे मृतक की माता द्वारा खोजा गया था। हीरालाल (बचाव साक्षी क्रमांक 1) का साक्ष्य स्पष्टतः प्रदर्शित करता है कि देवन्ती देवी (अभियोजन साक्षी क्रमांक 2) एवं सरिता कुमारी (अभियोजन साक्षी क्रमांक 3) घटना के समय उपस्थित थीं। इसलिए, देवन्ती देवी (अभि.सा.क्रमांक 2) और सरिता कुमारी (अभि.सा.क्रमांक 3) की साक्ष्य को मृतक के साथ उनके रिश्ते के आधार पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम उनके साक्ष्य को विश्वसनीय, तर्कपूर्ण, भरोसेमंद एवं चिकित्सीय साक्ष्य से यथोचित रूप से संपुष्ट पाते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. देवन्ती देवी (अभि.सा. क्रमांक-2) ने कथन किया कि घटना दिनांक को उसका पुत्र राजेश (मृतक) विद्यालय से सायं 4 बजे वापस आया, फुलपेन्ट बदलकर एवं गृह से बाहर गया। उस समय, सतेन्द्र (अभियुक्त/अपीलार्थी) एक मित्र के साथ पश्चिम दिशा की ओर से साइकिल चलाते हुए वहाँ आया और उसने मृतक राजेश के पैर के ऊपर साइकिल का पहिया चढ़ा दिया। मृतक द्वारा अपने पैर पर साइकिल चढ़ाये जाने पर आपत्ति की। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने मृतक का हाथ पकड़कर उसकी कलाई घड़ी बलपूर्वक छीन ली एवं उसे अपनी जेब में रख लिया। तत्पश्चात्, वह और उसकी पुत्री सरिता कुमारी (साक्षी क्रमांक -3) घर से बाहर आईं। उसने देखा कि अपीलार्थी ने उसके पुत्र (मृतक) का हाथ पकड़ रखा था। उसने अपीलार्थी से उसके पुत्र को छोड़ने और कलाई घड़ी वापस करने के लिए कहा। इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने एक चाकू निकाला और मृतक की गर्दन पर वार किया।

10. सरिता कुमारी (अभियोजन क्रमांक -3) ने कथन किया कि घटना वाले दिन लगभग अपराह्न 4 बजे वह अपने घर के दरवाजे पर स्थित कुएं के निकट खड़ी थी। उसकी माता (देवन्ती देवी, अभियोजन साक्षी क्रमांक -2) भी उसके साथ थीं। उस समय, उसका भाई (मृतक) विद्यालय से वापस आया और घर में प्रवेश किया। तत्पश्चात्, उसने अपनी फुल-पैंट बदली और घर से बाहर आया । उसी समय, अपीलार्थी वहाँ आया और उसने उसके भाई राजेश (मृतक) के पैर के ऊपर साइकिल चढ़ाई। उसने आगे बयान दिया कि अपीलार्थी ने मृतक को पकड़कर लगभग एक बाँस की दूरी तक घसीटा और तदुपरांत उसने मृतक पर चाकू (छुरे) से दो बार प्रहार किया, एक प्रहार गर्दन पर किया एवं दूसरा प्रहार होंठों के ऊपर किया। चाकू के प्रहारों के फलस्वरूप, मृतक भूमि पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।

11. भोलाप्रसाद (अभियोजन साक्षी क्रमांक -4) ने साक्ष्य में कथन किया कि पुलिस द्वारा अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने यह कथन किया कि उसने चाकू (छुरे) को एक फितुल नामक व्यक्ति के खेत में छिपाकर रखा था तथा उक्त चाकू को उक्त खेत से प्रदर्श पी क्रमांक-7 के अनुसार बरामद किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सहायक उप-निरीक्षक सुरेन्द्र गिरि (अभि. साक्षी क्रमांक -8) ने कथन किया कि अपीलार्थी का मेमोरेंडम कथन उनके द्वारा दिनांक 7-2-1992 को प्रदर्श पी-6 के माध्यम से अभिलिखित किया गया और उसके निशानदेही पर, चाकू को साक्षियों की उपस्थिति में उससे प्रदर्श पी-7 द्वारा जब्त किया गया था। बंधेश्वर (अभि. साक्षी क्रमांक -10) ने भी कथन किया कि चाकू को अपीलार्थी से प्रदर्श पी-7 के द्वारा जब्त किया गया था।

12. साक्षियों के साक्ष्य तथा बरामदगी ज्ञापन पत्र से यह स्पष्ट है कि चाकू (छुरे) को भूमि खोदकर छिपाया गया था, जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा सहजता से खोजा नहीं जा सकता था। हमारे मत में, यह नहीं कहा जा सकता कि बरामदगी ऐसे स्थान से की गई जो किसी भी व्यक्ति के लिए सुगमता से पहुंचने योग्य थी।

13. हमने देवन्ती देवी (अभियोजन साक्षी क्रमांक -2) तथा सरिता कुमारी (अभियोजन साक्षी क्रमांक -3) के साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया। इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि घटना तिथि को अपीलार्थी ने मृतक पर चाकू (छुरे) से प्रहार किया था। हीरालाल (प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक -1) ने अपने साक्ष्य में घटना घटित होने के समय देवन्ती देवी (अभियोजन साक्षी क्रमांक -2) एवं सरिता कुमारी (अभियोजन साक्षी क्रमांक -3) की उपस्थिति को स्वीकार किया है। देवन्ती देवी (अभियोजन साक्षी क्रमांक -2) तथा सरिता कुमारी (अभियोजन साक्षी क्रमांक -3) के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी सम्यक् रूप से पुष्टि होती है। चिकित्सीय साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतक की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव एवं आघात के कारण हुई तथा यह मानववध प्रकृति की थी। अतएव, हमें अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती कि यह अपीलार्थी ही था जिसने मृतक के शरीर पर चाकू (छुरे) से क्षतियाँ कारित कीं तथा अपीलार्थी द्वारा कारित चोटों के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अब, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के सापेक्ष धारा 304 के उपबंधों की दृष्टि से इस विषय का अवलोकन करेंगे।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री तिवारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को मृतक द्वारा उकसाया गया था। उन दोनों के मध्य परस्पर गाली-गलौज और हाथापाई हुई। तदनुसार, अपीलार्थी का कृत्य धारा 302 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की दंडनीय नहीं होगा तथा वह की धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होगा।

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में आपराधिक मानव-वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता, के लिए दंड का उपबंध किया गया है। यह उन प्रकरणों, जिनमें हत्या करने का आशय विद्यमान होने के बावजूद, कृत्य धारा 300 भारतीय दंड संहिता के किसी अपवाद के अंतर्गत होने के कारण हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तथा उन प्रकरणों में जिनमें आपराधिक दोषपूर्ण मानव-वध है जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, अर्थात् जहाँ यह ज्ञात हो कि मृत्यु संभावित होगी, परंतु

मृत्यु कारित करने का, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, आशय अविद्यमान है I भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का प्रथम भाग वहाँ प्रयोग होता है जहाँ आशय विद्यमान हो, जबकि द्वितीय भाग वहाँ प्रयोग होता है जहाँ ज्ञान विद्यमान हो, परंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के किसी भी खंड के अधीन अभियुक्त को दोषी करार देने से पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के पाँचों अपवादों में वर्णित किसी भी परिस्थिति में मृत्यु कारित की गई होनी चाहिए, जिसमें गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन स्व-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होकर मृत्यु कारित होना सम्मिलित है।

उत्प्रेरण, व्यक्ति अथवा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक प्रयोग करते समय, एवं आवेश में बिना पूर्वचिंतन के आकस्मिक झगड़े में किसी कृत्य को करने से उत्पन्न हो सकने वाले परिणामों का ज्ञान, उस आशय से पूर्णतः भिन्न है जो यह इंगित करता है कि कोई विशिष्ट परिणाम घटित होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के पूर्व भाग को आकर्षित करने के लिए, आशय का तत्व एक कारक है, जबकि उत्तर भाग को आकर्षित करने के लिए, ज्ञान का तत्व एक कारक है। आशय किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य का उद्देश्यपूर्ण करना है, जबकि ज्ञान एक जागरूकता है जो इस बात से अवगत होने का गुण है कि किसी कार्य को करने से कोई विशेष परिणाम घटित हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 2 SCC 342 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "8. अगला प्रश्न यह है कि अपीलार्थी द्वारा कौन सा अपराध किया हुआ दर्शाया है? एक तुच्छ झगड़े में अपीलार्थी ने चाकू जैसे हथियार का प्रयोग किया। यह घटना मध्याह्न लगभग 1.45 बजे घटित हुई। विवाद तुच्छ स्वरूप का था और ऐसी तुच्छ झगड़े में भी अपीलार्थी ने चाकू जैसे हथियार का प्रयोग किया और सीने पर प्रहार

किया।इन परिस्थितियों में, यह एक अनुज्ञेय अनुमान है कि अपीलार्थी को न्यूनतम रूप से आरोपित किया जा सकता है कि उसके द्वारा ऐसी क्षति कारित किए जाने की संभावना थी जिससे मृत्यु होना संभव था। तदनुसार, अपीलार्थी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खंड-द्वितीय के अंतर्गत अपराध किया गया दर्शाया है तथा पाँच वर्ष के कारावास का दंड न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।"

18. सतीश नारायण सावंत बनाम गोवा राज्य, (2009) 17 SCC 724 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"40. यही सुस्थापित विधिक स्थिति होने के कारण, जब हम वर्तमान प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की परीक्षा उपर्युक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर करते हैं, तब हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। जैसा कि पूर्व में ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि घटना के पूर्व विवाद हुआ था।घटनास्थल एक ऐसा निवास है जिसमें दोनों पक्षकार निवासरत थे तथा अभिलेख में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि मृतक के पास कोई हथियार था। आरंभ में अपीलार्थी-अभियुक्त के पास भी कोई हथियार नहीं था परंतु घटनाक्रम में वह भीतर गया और एक छुरा लेकर आया जिसकी सहायता से उसने मृतक को छुरे से प्रहार किया। अभियोजन साक्षी क्रमांक -7 ने अपनी प्रतिपरीक्षण में स्पष्टतः कथन किया है कि छुरा घोंपने से हुए आघात के कारण मृत्यु, क्षति क्रमांक -1 के फलस्वरूप हुई थी तथा शेष सभी क्षतियाँ सतही स्वरूप की थीं। अतएव, केवल क्षति क्रमांक -1 ही प्राणघातक स्वरूप की थी। तथ्यतः इसलिए, छुरा घोंपने से केवल एक मुख्य चोट कारित हुई थी और वह भी मृतक के पीठ की दिशा में थी तदनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु कारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने का अथवा किसी विशिष्ट मात्रा की गंभीरता की क्षति पहुँचाने का कोई आशय विद्यमान था।"

19. प्रस्तुत प्रकरण में, हीराप्रसाद (अ.सा. 1) ने कथन किया कि मृतक ने अपीलार्थी से कहा कि उसकी साइकिल हिल रही थी। यह सुनकर, अपीलार्थी ने मृतक का हाथ पकड़ लिया था। हीरालाल (बचाव साक्षी क्रमांक -1) ने कथन किया कि अपीलार्थी और मृतक ने एक-दूसरे को गाली-गलौज की और उनके बीच हाथापाई हुई। इस कारण, अपीलार्थी ने मृतक को उसकी गर्दन और होंठों पर चाकू से वार किए।

20. उपर्युक्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि अपीलार्थी का कृत्य धारा 300 भारतीय दंड संहिता अपवाद के अंतर्गत आएगा और धारा 304 भारतीय दंड संहिता के द्वितीय भाग के अधीन दंडनीय होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपरोक्त कारणों से, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थी को प्रदत्त दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है। उसके स्थान पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अधीन अपराधी घोषित किया जाता है तथा उसे दस वर्ष की सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है। अपीलार्थी को दिनांक 8-2-1992 को गिरफ्तार गया था तथा उसे दिनांक 3-7-2002 को इस न्यायालय के दिनांक 7-5-2002 के आदेशानुसार जमानत पर रिहा किया गया था, तदनुसार वह पूर्व में ही दस वर्ष से अधिक कारावास भोग चुका है। वर्तमान में वह जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता है।

हस्ताक्षरित /-	हस्ताक्षरित /-
सुनील कुमार सिन्हा	आर.एस. शर्मा
न्यायमूर्ति	न्यायमूर्ति

अस्वीकरण:हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv Nikhat Shandan Jafri

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur